**भारत सरकार**

**ग्रामीण विकास मंत्रालय**

**ग्रामीण विकास विभाग**

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न सं. *123**

**(28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)**

**दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत लखपति दीदी**

**123. श्रीमती स्मिता उदय वाघ:**

**श्री रोडमल नागर:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छह करोड़ 'लखपति दीदियों' का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के माध्यम से पचास लाख स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए हाल ही में शुरू किए गए 'राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान' के अंतर्गत निर्मित कुल क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार लखपति दीदी का दर्जा प्राप्त करने वाली महिलाओं और राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान के अंतर्गत दिए गए उद्यमिता प्रशिक्षण से संबंधित डेटा रखती है और यदि हां, तो महाराष्ट्र के जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार लखपति दीदी लाभार्थियों के सत्यापन के लिए लोक ऑपरेटिंग सिस्टम (लोकओएस) एप्लीकेशन के माध्यम से सतत् मासिक घरेलू आय की निगरानी कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने महिलाओं के वित्तीय समावेशन, उद्यमिता और आजीविका सृजन पर इस पहल के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो महाराष्ट्र के जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए उद्यमिता सहायता, ऋण सहबद्धता (क्रेडिट लिंकेज) और बाजार पहुंच का विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो जलगांव सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**ग्रामीण विकास मंत्री**

**(श्री शिवराज सिंह चौहान)**

(क) से (च) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

**ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा "दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत लखपति दीदी" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 28.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 123 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

**(क)** जी हां। सरकार दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत लखपति दीदी पहल की प्रगति की एक संरचित बहु-स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा तंत्र के माध्यम से नियमित रूप से समीक्षा करती है।

(i) राष्ट्रीय स्तर पर, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में, अपर सचिव और संयुक्त सचिव (ग्रामीण विकास) के साथ, समय-समय पर प्रगति की समीक्षा की जाती है। राज्य स्तर पर, प्रगति की समीक्षा राज्य स्तरीय लखपति दीदी संचालन समिति तथा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) के मिशन निदेशकों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा की जाती है। कार्यान्वयन की निगरानी, बाधाओं की पहचान और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की सुविधा के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर भी नियमित समीक्षा की जाती है।

(ii) 31 मार्च 2026 तक, 3.46 करोड़ से अधिक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों ने "लखपति दीदी" का दर्जा प्राप्त कर लिया है। सरकार इस पहल की प्रगति की बारीकी से निगरानी करना जारी रखे हुए है और 6 करोड़ लखपति दीदी के समग्र लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। इस लक्ष्य को सहायता देने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों 4.10 करोड़ का अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र के लिए 17.50 लाख का अतिरिक्त लक्ष्य शामिल है। यह प्रगति सतत आजीविका संवर्धन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, वित्तीय समावेशन, उद्यम विकास और अंतर-विभागीय अभिसरण के माध्यम से संचालित होती है।

**(ख)** राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान, सभी राज्यों में उद्यम विकास (ईडीपी) प्रशिक्षण प्रदान करने और उद्यम विकास कार्यक्रम (ईडीपी) पर मौजूदा सीआरपी की क्षमता निर्माण और उन्हें प्रमाणित करने के लिए 12 जनवरी 2026 को शुरू किया गया था। विवरण इस प्रकार हैं:

(i) इस अभियान के तहत एसएचजी सदस्यों को बुनियादी उद्यमिता प्रशिक्षण और मार्गदर्शी सहायता प्रदान करने के लिए सीआरपी-ईपी और व्यवसाय विकास सेवा प्रदाताओं (बीडीएसपी) सहित लगभग 66,000 सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) को उन्मुख और संवेदनशील बनाया गया है।

(ii) इसके अतिरिक्त, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के तहत, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), नोएडा तथा भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी के माध्यम से 400 मास्टर प्रशिक्षक तैयार किए गए हैं, ताकि प्रशिक्षण पारितंत्र को मजबूत किया जा सके और क्षेत्र-स्तरीय संवर्गों के क्षमता निर्माण में सहायता मिल सके।

(iii) प्रशिक्षित सीआरपी-ईपी एवं बीडीएसपी का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-I** में संलग्न है तथा राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान प्रशिक्षण पर राज्यवार आंकड़े भी दर्ज किए जा रहे हैं, जो आज तक की स्थिति के अनुसार **अनुबंध-II** में संलग्न है।

**(ग)** सरकार उन एसएचजी सदस्यों के व्यापक, डिजिटल रिकॉर्ड रखती है जो अब लखपति दीदी बन चुकी हैं और उद्यमिता संबंधी प्रशिक्षण भी प्रदान करती है।

**(i)** आंकड़े डीएवाई-एनआरएलएम के डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकओएस का उपयोग करते हुए डिजिटल आजीविका रजिस्टर में व्यवस्थित रूप से दर्ज किए जाते हैं। राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-III** में संलग्न है। जिला-वार विवरण **लखपति दीदी डैशबोर्ड (lakhpatididi.gov.in)** पर उपलब्ध है।

**(ii)** महाराष्ट्र सहित राज्यों के आंकड़े भी रखे जाते हैं; महाराष्ट्र ने 51.59 लाख संभावित लखपति दीदी (पीएलडी) की पहचान की है और 395 मास्टर प्रशिक्षकों तथा 37,065 सीआरपी की सहायता से 49.62 लाख लखपति दीदी सत्यापित की हैं। सीआरपी द्वारा दर्ज आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक, जलगांव (महाराष्ट्र) में कुल 3.34 लाख संभावित लखपति दीदी (पीएलडी) और 1,676 सीआरपी की सहायता से 2.42 लाख लखपति दीदी थीं।

**(घ)** सरकार लखपति दीदी बनाने हेतु पारिवारिक आय और आजीविका संबंधी जानकारी को दर्ज, निगरानी और सत्यापित करने के लिए डीएवाई-एनआरएलएम के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकओएस (कम्युनिटी ऑपरेटिंग सिस्टम) का उपयोग करती है।

**(i)** लोकओएस प्रशिक्षित सामुदायिक संवर्गों को डिजिटल आजीविका रजिस्टर (डीएआर) के माध्यम से आधारभूत पारिवारिक आय दर्ज करने और समय-समय पर पारिवारिक आय एवं आजीविका संबंधी जानकारी अद्यतन करने में सक्षम बनाता है।

**(ii)** इस एप्लीकेशन से आय की प्रगति की निगरानी की जा सकती है औरलखपति दीदी बनाने के लिए आय मानदंड प्राप्त और बरकरार रखे गए हैं या नहीं यह आकलन करने में सहायता करता है।

**(iii)** लोकओएस में दर्ज स्व-घोषित आंकड़ों को डीएआर में प्रविष्टि किए जाने से पहले ब्लॉक स्तर पर सीआरपी, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक (बीपीएम) और जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापित किया जाता है।

**(iv)** मजबूत डिजिटल लोकओएस प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर आवश्यक जरूरतों, प्रगति और समीक्षा की निगरानी के लिए डैशबोर्ड, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और डेटा अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

**(ङ)** सरकार ने महिलाओं के वित्तीय समावेशन, उद्यमिता और आजीविका सृजन पर उनके प्रभाव का आकलन करने के लिए डीएवाई-एनआरएलएम और उसके कार्यकलापों का स्वतंत्र मूल्यांकन कराया है।

**(i) डीएवाई-एनआरएलएम मूल्यांकन (2024):** इस मूल्यांकन में पारिवारिक आय पर सकारात्मक प्रभाव पाया गया, जो मध्यम से अल्पावधि में लगभग 10% बढ़ी। परिपक्व क्लस्टर स्तरीय महासंघों (एमसीएलएफ) में, पारिवारिक आय 12% से 33% तक बढ़ी।

**(ii) एसवीईपी एंडलाइन मूल्यांकन (2024):** मूल्यांकन में पाया गया कि समर्थित उद्यमों में से 96% परिचालन में बने रहे, 79% उद्यमियों ने अपना पहला व्यवसाय स्थापित किया, 74% ने उद्यम को अपना मुख्य व्यवसाय बताया, 73% को नियमित मासिक आय प्राप्त हुई, और लगभग 86% ने बढ़ी हुई बचत की सूचना दी, जो उद्यमिता, वित्तीय समावेशन और टिकाऊ आजीविका में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता है।

**(iii) नीति आयोग मूल्यांकन (2025):** नीति आयोग ने डीएवाई-एनआरएलएम को एक अत्यंत प्रासंगिक और प्रभावशाली कार्यक्रम के रूप में आंका, तथा मजबूत सामुदायिक संस्थाओं और अभिसरण के माध्यम से पारिवारिक आय, आजीविका विविधीकरण, वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता और महिला सशक्तिकरण में सुधार को रेखांकित किया।

**(iv) एमकेएसपी प्रभाव आकलन (2024):** मूल्यांकन में पाया गया कि लगभग 79% महिला किसानों ने बेहतर कृषि पद्धतियां अपनाईं और उन्हें बनाए रखा, जिससे उत्पादकता में वृद्धि और स्थायी आजीविका में योगदान मिला।

**(च)** महाराष्ट्र (जिसमें जलगांव जिला शामिल है) सहित सभी भागीदार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में डीएवाई-एनआरएलएम एक सतत केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके महासंघों को उद्यमिता सहायता, संस्थागत ऋण संबद्धता और बाजार पहुंच के लिए एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है। मिशन के मौजूदा कार्यक्रम घटकों जैसे सामुदायिक संवर्गों और आजीविका संसाधन व्यक्तियों का क्षमता निर्माण; बैंक संपर्क, सामुदायिक निवेश निधि और ब्याज अनुदान के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और संस्थागत ऋण तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने; तथा स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम, महिला समूहों और उद्यमों सहित महिला स्वामित्व वाले उद्यमों और बाजार-उन्मुख समूहों का पोषण करने के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है, ये कार्यकलाप मिशन के नियमित कामकाज का हिस्सा हैं और महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में की जाती हैं।

**(क) उद्यमिता सहायता**

**(i)** इनक्यूबेटर के माध्यम से महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों की स्थापना, वृद्धि और विस्तार की सहायता करना।

**(ii)** इन्क्यूबेशन, व्यावसायिक सलाह, बाजार एवं वित्तीय संपर्क, तथा प्रौद्योगिकी सहायता के माध्यम से उच्च-स्तरीय महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों की सहायता करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में इनक्यूबेटर स्थापित करना।

**(iii)** उद्यम विकास को मजबूत करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय. मत्स्य पालन एवं पशुपालन विभाग, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जैसे मंत्रालयों के साथ अभिसरण का लाभ उठाना।

**(iv)** मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत बनाते हुए, उत्पादकता में सुधार करके, बाजार पहुंच की सुविधा प्रदान करते हुए और पैमाने की मितव्ययिता को सक्षम बनाकर बड़ी संख्या में उद्यमों का समर्थन करने के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण के माध्यम से उत्पाद-विशिष्ट कार्यकलापों को बढ़ावा देना।

**ख. ऋण लिंकेज और उद्यम वित्तपोषण**

**(i)** एसएचजी बैंक संबद्धता को मजबूत करना और एसएचजी सदस्यों के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण तक पहुंच बढ़ाना।

**(ii)** पात्र एसएचजी और उनके सदस्यों के लिए किफायती संस्थागत ऋण तक पहुंच वृद्धि करने के लिए ब्याज अनुदान योजना जारी रखना।

**(iii)** उद्यम वित्तपोषण को मजबूत करके और संस्थागत ऋण तक पहुंच को बढ़ाकर व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों की वित्तीय संपत्ति का निर्माण करना।

**ग. विपणन और बाजार पहुंच**

ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत डीएवाई-एनआरएलएम सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में एसएचजी उत्पादों के लिए बाजार पहुंच को मजबूत बना रहा है। इन प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं:

**(i)** ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एसएचजी उत्पादों के प्रचार के लिए "सरस", "सरस आजीविका" और "आजीविका" ब्रांड पंजीकृत किए हैं। 25 राज्यों ने राज्य स्तरीय ब्रांड बनाए हैं और इन ब्रांडों के तहत एसएचजी उत्पादों की बिक्री की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र का उमेद, झारखंड का पलाश और आदिवा, हिमाचल प्रदेश का हिमइरा तमिलनाडु का माठी आदि।

**(ii)** सरस ब्रांड को लोकप्रिय बनाने और शहर के बाजारों में एसएचजी उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सरस मेलों का आयोजन किया जाता है। एसएचजी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष 2 राष्ट्रीय स्तरीय सरस मेले और 1 खाद्य महोत्सव तथा 50 से अधिक राज्य स्तरीय सरस मेलों का आयोजन किया जाता है। एसएचजी सदस्यों के चुनिंदा उत्पादों की बिक्री के लिए केंद्रीय दिल्ली में एक

खुदरा दुकान - सरस आजीविका गैलरी संचालित किया जा रहा है। इसी तरह राज्य भी अपने-अपने ब्रांडों के तहत खुदरा दुकान चलाते है।

**(iii)** एसएचजी के चुनिंदा उत्पादों की बिक्री के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक समर्पित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ई-सरस स्थापित किया गया है। एसएचजी उत्पादों के प्रचार के लिए अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों जैसे जेम, ओएनडीसी, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो और जियोमार्ट के साथ भी टाई-अप/भागीदारी की गई है।

जलगांव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित किसी भी राज्य अथवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए पृथक विस्तार योजना तैयार या संधारित नहीं की जाती है। उपर्युक्त हस्तक्षेप राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) द्वारा पात्र जिलों एवं विकास खंडों में मांग-आधारित (डिमांड-ड्रिवन) तरीके से कार्यान्वित किए जाते हैं।

**"दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत लखपति दीदी" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 28.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 123 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | सीआरपी-ईपी* एवं बीडीएसपी** की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | उत्तर प्रदेश | 12,342 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 10,822 |
| 3 | महाराष्ट्र | 10,642 |
| 4 | पश्चिम बंगाल | 6,137 |
| 5 | मध्य प्रदेश | 4,271 |
| 6 | झारखंड | 2,880 |
| 7 | कर्नाटक | 2,846 |
| 8 | राजस्थान | 1,997 |
| 9 | पंजाब | 1,973 |
| 10 | असम | 1,857 |
| 11 | केरल | 1,726 |
| 12 | बिहार | 1,640 |
| 13 | तमिलनाडु | 1,370 |
| 14 | गुजरात | 1,112 |
| 15 | त्रिपुरा | 952 |
| 16 | जम्मू और कश्मीर | 735 |
| 17 | ओडिशा | 613 |
| 18 | नागालैंड | 577 |
| 19 | हिमाचल प्रदेश | 436 |
| 20 | छत्तीसगढ़ | 435 |
| 21 | अरुणाचल प्रदेश | 258 |

| | | |
|---|---|---|
| 22 | गोवा | 240 |
| 23 | मिजोरम | 119 |
| 24 | उत्तराखंड | 115 |
| 25 | मणिपुर | 84 |
| 26 | हरियाणा | 63 |
| 27 | मेघालय | 43 |
| 28 | सिक्किम | 34 |
| 29 | तेलंगाना | 17 |
| 30 | पुदुचेरी | 16 |
| 31 | लद्दाख | 12 |
| 32 | अंडमान और निकोबार | 26 |
| | **कुल** | **66,390** |

***सीआरपी-ईपी - उद्यम संवर्धन हेतु सामुदायिक संसाधन व्यक्ति**

**** बीडीएसपी - व्यवसाय विकास सेवा प्रदाता**

**"दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत लखपति दीदी " के संबंध में लोक सभा में दिनांक 28.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 123 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान के तहत प्रशिक्षित एसएचजी सदस्य |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 8,64,424 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 8,940 |
| 3 | असम | 3,12,064 |
| 4 | बिहार | 3,68,521 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 2,71,396 |
| 6 | गोवा | 27,720 |
| 7 | गुजरात | 57,600 |
| 8 | हरियाणा | 85,724 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 5,082 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र) | 66,591 |
| 11 | झारखंड | 3,08,554 |
| 12 | कर्नाटक | 34,915 |
| 13 | केरल | 4,95,816 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 2,48,828 |
| 15 | महाराष्ट्र | 52,925 |
| 16 | मणिपुर | 4,332 |

| | | |
|---|---|---|
| 17 | मेघालय | 16,709 |
| 18 | मिजोरम | 3,437 |
| 19 | नागालैंड | 16,514 |
| 20 | ओडिशा | 86,420 |
| 21 | पंजाब | 21,017 |
| 22 | राजस्थान | 61,368 |
| 23 | सिक्किम | 2,717 |
| 24 | तमिलनाडु | 10,380 |
| 25 | तेलंगाना | 1,08,160 |
| 26 | त्रिपुरा | 4,793 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 3,62,252 |
| 28 | उत्तराखंड | 15,031 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 2,16,000 |
| | **कुल** | **41,38,229** |

**"दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत लखपति दीदी" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 28.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 123 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-III**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | लखपति दीदियों की संख्या (31 मार्च, 2026 तक) |
|---|---|---|
| 1 | महाराष्ट्र | 49,66,617 |
| 2 | बिहार | 43,40,227 |
| 3 | पश्चिम बंगाल | 34,20,962 |
| 4 | उत्तर प्रदेश | 33,52,157 |
| 5 | ओडिशा | 26,74,261 |
| 6 | मध्य प्रदेश | 23,67,520 |
| 7 | आंध्र प्रदेश | 22,73,869 |
| 8 | तेलंगाना | 17,31,262 |
| 9 | राजस्थान | 15,21,620 |
| 10 | गुजरात | 11,31,865 |
| 11 | छत्तीसगढ़ | 10,95,729 |
| 12 | तमिलनाडु | 9,55,015 |
| 13 | असम | 9,19,762 |
| 14 | केरल | 7,74,592 |
| 15 | झारखंड | 7,38,822 |
| 16 | कर्नाटक | 7,17,755 |
| 17 | पंजाब | 3,85,666 |
| 18 | उत्तराखंड | 2,84,934 |

| | | |
|---|---|---|
| 19 | जम्मू और कश्मीर | 2,52,867 |
| 20 | हरियाणा | 2,27,433 |
| 21 | त्रिपुरा | 1,63,126 |
| 22 | हिमाचल प्रदेश | 1,45,773 |
| 23 | मेघालय | 78,946 |
| 24 | मिजोरम | 31,747 |
| 25 | मणिपुर | 24,145 |
| 26 | नागालैंड | 19,661 |
| 27 | अरुणाचल प्रदेश | 15,674 |
| 28 | सिक्किम | 15,253 |
| 29 | पुदुचेरी | 13,318 |
| 30 | गोवा | 4,778 |
| 31 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 3,172 |
| 32 | अंडमान और निकोबार | 674 |
| 33 | लद्दाख | 246 |
| 34 | लक्षद्वीप | 0 |
| | **कुल** | **3,46,49,448** |